भारत का कौन्सुलेट जनरल
जद्दा
भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यावहारिक गाईड
हज–2007

प्रिय यात्री!

हम आपको दिल से मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपका चुनाव करके ये खुशनसीबी प्रदान की कि इस साल 2007;1428 में हज की सआदत के लिए दोनों पाक शहरों मक्का मुकरम्मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करें। आप में से कुछ जद्दा पहुँच चुके होगें, और **मदीना मुनवरा जाने के लिए राह देख रहे होंगे ।**जबकि बाकी दूसरे मक्का आने से पहले मदीना मनुव्वरा में 40 नमाजें पढ़ **रहे** होंगे।

कृपया अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करें कि आपकी तमाम कोशिशें उसकी रजा हासिल करने में कामयाब हों और आप सफल और कामयाब हज 2007 अदा करने का अपना मक़सद पूरा करें – इन्शा अल्लाह!

आप की पवित्र यात्रा के मुनासिके हज में आसानी पैदा करने के लिए कुछ फायदेमन्द संकेत और दिशा निर्देश (क्या करें और क्या न करें) तैयार किये गये हैं। जिससे आप की रहनुमाई और हिफाज़त हो। कृपया इसको ध्यान से पढ़ लें और नीचे दिये गये दिशा निर्देशों और सुझावों पर अमल करने की कोशिश करें।

1–सामान्य

1. हदीस के अनुसार आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मेहमान हैं। इस विचार को अपने दिल और दिमाग में बसाये रखें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय नमाज, तवाफ, जिक्र, कुरआन पाक की तिलवात और दूसरी पाक चीज़ों में लगाये रखें और **इधर–उधर बेकार घूमने फिरने में अपना समय न बर्बाद करें।**

2. सफाई और पाकी मोमिन की शान है, आपके दीन और अक़ीदे का अटूट हिस्सा है और यह एक अच्छे इन्सान की पहचान है। इसलिए सदा कोशिश करें कि आप **अपना जिस्म, अपने कपड़े, और अपने रहने की जगह सब कुछ साफ सुथरा रखें।**

3. आप जानते हैं कि हज एक सख़्त शारीरिक मेहनत और परिश्रम वाली इबादत है। मक्का और मदीना में रिहायश के समय में अच्छी खासी दूरी पैदल चलना आम बात होती है। दूसरे, खास हज की मुद्दत में बंधें समय में मशायर क्षेत्र में बार–बार चक्कर लगाकर हज के फर्ज़ अदा करने होते हैं। इसलिए हाजियों को ऐसी जिस्मानी मेहनत और

दबाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है जिस की आपको आदत नहीं होती। अतः हिम्मत बढ़ाये रखना, सब्र (धैर्य) और यह बात बहुत जरूरी है कि इस जगह आने का असल ध्येय आंखों से ओझल न होने पाए। वह है हज और अपने आप को अल्लाह की इबादत में शराबोर कर देना।

4. हज व ज़ियारत दरअस्ल कई छोटी यात्राओं का नाम है। **लिहाज़ा अपनी सभी यात्राओं में कृपया धैर्य से काम करें।** कहीं भी बेसब्री और जल्दबाजी न करें। क्योंकि ऐसा करने से कई बार नागवार और दुखद वाकिये या हादसे हो चुके हैं।

5. हज यात्रियों में खासी तादाद बूढ़े, सीधे–साधे और अनपढ़ लोगों की होती है। इसलिए निवेदन है कि **हर बिल्डिंग के हर कमरे/फ़्लोर के जवान और स्वस्थ यात्री कोई भी ऐसा मौक़ा हाथ से न जाने दें जहाँ ऐसे यात्रियों की मदद कर सकते हैं ताकि सवाब और रजाए इलाही हासिल हो।**

6. विस्तृत हरम शरीफ में रास्ता भूलना हाजियों के लिए आम है। अतः हरम शरीफ में दाख़िल होने पर आप इस परिसर में इधर–उधर देखें। **बाहर जाने के लिए पांच रंगदार गेट हैं। आसानी के लिए हरम शरीफ के सभी गेट नम्बर वाले हैं। आपको इस गेट का रंग नाम और नम्बर जरूर याद रखना होगा जो मक्के में आपकी बिल्डिंग की तरफ निकलता है। यह याद रखने का सबसे आसान तरीका है।**

7. अगर आप अपनी बिल्डिंग का रास्ता भूल ही जायें तो अजयाद में (मक्का होटल के सामने) इंडियन हज आफिस का पता लगाएं और वहाँ पहुंच जाएं। यह आफिस आपको बताएंगा कि अपनी बिल्डिंग जल्दी कैसे पहुंचे। **भारतीय टास्क दल से मदद मांगिए जिनके ऊपरी कपड़ों पर तिरंगा निशान होगा** और "अल–हिन्द" और "भारत" हिन्दी में लिखा होगा।

8. **अपना हाथ का पट्टा जो हज कमेटी ऑफ इन्डिया देती है या पहचान पत्र जो अपने मोअल्लिम से आपको मिलेगा कभी न छोड़िए।** यह दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं और **आपकी पहचान हैं और** आपके लिए उपयोगी साबित होंगी।

9. कानून के अनुसार यात्री मक्का, मदीना या मशायर मुक़द्दसा क्षेत्र के बाहर बिना अपने मकतब की इजाजत के सफर नहीं कर सकते क्योंकि हाजियों के विजा में उनके जद्दा, या सऊदी अरब में कहीं और जाने की आज्ञा नहीं है। **जो यात्री ऐसा करने की हिम्मत करते हैं वह गिरफ्तारी और वतन वापस भेजे जाने का जोख़िम लेते हैं। इसलिए**

आपको पूरी इजाजत के बिना अपनी हदों से बाहर जाने से अपने आपको रोके रखना चाहिए।

10. हज 1428 हि0 17 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक पड़ेगा। ये ठण्डे महीने होते हैं और आपको स्वेटर और कम्बल जैसे गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। मक्का और मदीना में कमरे और मिना में टेन्ट्स सभी एयरकन्डीशन्ड होते हैं इसलिए आपको सर्दी लगेगी, विशेषतः रात में। यह जान लें इन में से किसी जगह को गर्म करने का प्रबन्ध नहीं है। **इस साल आपको मोअल्लिम की ओर** से **एक तकिया और एक कम्बल मिना में दिया जाएगा , जिसको आप यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा सकते है।**

11. सड़कें पार करते समय आपको बहुत एहतियात करना होगी। खास तौर से मक्का और मदीना की बड़ी सड़के और राजमार्ग (हाईवे)। सऊदी अरब में ट्रैफिक भारत से उल्टी दिशा में चलता है। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत तेज होता है। बहुत से हाजी अपनी लापरवाही से घायल हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। अगर हाजी सड़क पार कर रहें हों तो मोटर ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकेगे न धीमी करेंगे। आपको सड़क पर आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखना है। हमारी तरफ से यह सलाह देना जरूरी है कि हज से पहले विभिन्न जगहों की जियारत का विचार न करें तो अच्छा है और इस तरह ख़तरे से बचें।

II—आवास

12 **हाजियों को बताया जाता है कि सऊदी सरकार ने कहा है कि पूरा मक्का शहर शीशा और अजीजिया मिलाकर सब हुदुद हरम में आता है।**

13 भारत सरकार भारतीय हाजियों के रहने की सभी जगहें सऊदी अरब सरकार के नियमों के अनुसार हज कमेटी ऑफ इन्डिया से सलाह करके हासिल करती है। **इसकी हर कोशिश की गयी है कि मक्का और मदीने में आपके लिए बेहतर से बेहतर सम्भव आवास का का इन्तजाम किया जाये। यह असल सच्चाईयों और बाजार की शक्तियों की हदों में रहकर किया गया है।**

मक्का में आवास

14. इस साल मक्के में हाजियों के लिए आवास की एक नई श्रेणी बढ़ाई गई है जो कि शीशा श्रेणी है। इसमें भवन सिर्फ शीश के महबसुल जिन क्षेत्र में ही किराये पर लिये गये हैं। इस श्रेणी में भवन नये और बड़े—बड़े हैं। इलाक़ा खुला है और माहौल स्वस्थ है। आपके भवन से हरम शरीफ तक 24 घंटे ट्रांसपोर्ट मिलेगा। पिछले साल के कामयाब तर्जुबे को देखते हुए हमने अजीजिया श्रेणी को भी जारी रखा है। यहाँ

भी रात–दिन 24 घंटे हर वक़्त ट्रांसपोर्ट है अलबत्ता शीशा अजीजिया की तुलना में हरम शरीफ से बहुत नजदीक है।

15. **कोशिश की गयी है कि आवास उसी श्रेणी में प्रदान किया जाये जो कि आपने हज की दरखास्त देते समय मांगी थी फिर भी मक्का में कुछ श्रेणियों में जगहों की कमी की वजह से हो सकता है कि आपको स्पेशल निचली श्रेणी मिली हो। कृपया इस असुविधा को सहन करके हमारे साथ सहयोग दें ।लेकिन किराये के फर्क का धन आपकी भारत वापसी होने पर हज कमेटी आपको वापस कर देगी।**

16. आपके भवन कम्पयूटर सिस्टम के द्वारा एलाट किये गये हैं **इसलिए कृपया अपने एलाट कमरे ही में रहें। कृपया** इस बात पर ग़ौर करें कि किसी और की जगह पर कब्जा करना इस्लामी चरित्र के उसूलों के खिलाफ है और यह उस शख़्स को शोभा नहीं देता जो हज के लिए आया हो।

17. आप जानते हैं कि पवित्र मक्का की धरती भौगोलिक लिहाज से ऊँची–नीची है। इस तथ्य को सामने रखकर हमने नियम बनाया है कि यात्रियों के लिए किराये पर लिये गये हर भवन में लिफ्ट हो। **इस सहूलत का सही और उचित इस्तेमाल आप पर है।** हर लिफ्ट पर आम तौर पर कायदे के अनुसार **निर्देश** और सुचनाएं होती हैं। कृपया इनको पढ़ें और कम पढ़े–लिखे या कमजोर व बुजुर्ग लोगों को भी बताएं जो आपके ग्रुप में हों। लिफ्ट की गुंजाइश, भवन में आग की हालत में लिफ्ट न प्रयोग करना और बीच में ही रूक जाने पर अलार्म का बटन दबाना, यह और दूसरे निर्देश सदा लिफ्ट में नोटिस बोर्ड पर लिखे होते हैं।

18. सभी हाजियों को बाथरूम और किचन (रसोई) मिल–जुल कर इस्तेमाल करना होगी। इसमें इनको भाईचारे और आपसी लिहाज से काम लेना होगा। थोड़ा सा सब्र करके आप कई झंझटों और मसअलों का हल निकाल सकते हैं।

19. **सऊदी अरब में पानी बहुत कम मिलता है क्योंकि यहां ताजा पानी नही मिलता है समुद का पानी निकालकर साफ किया जाता हैऔर यह बहुत मंहगा होता है इसलिए पानी बर्बाद करने या बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल से बचें।** हज की चर्म अवधि में पानी के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से अगर किसी भवन में पानी खत्म हो जाये तो गाड़ियों पर पाबंदी के कारण टैंकर वहाँ पानी नहीं ला सकते। इसलिए अनिवार्य है कि कपड़े और बर्तन धोने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी कम खर्च किया जाये।

20. **मक्का या मदीना में गैस स्टोव मना है। फिर भी कुछ भवनों में इसका इंतजाम है।** गैस स्टोव या चूल्हे के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। इस स्टोव को छोड़ते समय यक़ीन कर लें कि खुद स्टोव और सिलेन्डर बन्द हो गया है ताकि गैस लीक होने का खतरा न रहे। **कृपया अपने ग्रुप या कमरे के दूसरे लोगों को जो एल. पी. जी. स्टोव के आदि न हों इसका तरीका बतायें।**

21. रोजाना हर भवन में बिल्डिंग सुपरवाईजर आकर हारिस (दरबान या द्वारपाल) से समस्याओं के बारे में मालूम करेगा जिनको दूर करना है। हाजी या तो हारिस को अपनी समस्याओं की खबर दे सकते हैं या फिर कम्पलेन्ट रजिस्टर में उनको दर्ज कर सकते हैं जो कि बिल्डिंग में होगा। उनके भवन के पास ही भारतीय हज मिशन के ब्रांच आफिस में भी शिकायत लिखवायी जा सकती है। हर भवन के ग्राउंड फ्लोर पर ब्रांच आफिस का नक्शा और टेलिफोन नम्बर मिलेगा।

22. **हाजी मिलने वालों को भवन या कमरे में न आने दें।** उन से भवन से बाहर मुलाक़ात करें। दोस्त, रिश्तेदार या दूसरे बाहरी लोगों को कमरे में नहीं रखा जाता है। कमरे को फालतू सामान से नहीं भर देना चाहिए क्योंकि जगह कम होती है।

III–हाजियों के कल्याण के लिए सहूलतें

23. भारत सरकार बड़ी तादाद में मेडिकल **और पशासकीय** अफसरों को इसलिए **नियुक्त** करती है कि हाजियों का ध्यान रखें। भारत हज मिशन मक्का और मदीना में ब्रांच आफिसेज़ और डिस्पेन्सरियां खोलता है। ब्रांच आफिस और डिस्पेन्सरियां दोनों शहरों में दो स्थायी कार्यालयों के अलावा हैं जो कि साल भर खुले रहते हैं। यह ब्रांच आफिस और **डिस्पेन्सरियां मक्का में हरम शरीफ के इधर–उधर हमारे हाजियों के भवनों के आस–पास ही खोली गईं हैं और मदीना में चार डिस्पेन्सरियां मस्जिद नबवी के चारों तरफ स्थित हैं। मक्का मुकरम्मा के अजयाद क्षेत्र में एक आधुनिक पचास बिस्तरों वाला अस्पताल खोला जा रहा है।** मक़सद यह है कि हाजियों की सेवा का कोई भी क्षेत्र नज़रअंदाज न होने पाये चाहे वह आम सुविधायें हों या मेडिकल सहुलतें। **भारतीय हज आफिस भी हाजियों की आसानी के लिए पिछले साल से एक अधिक बड़े भवन में हरम शरीफ के पास अजयाद क्षेत्र में ले आया गया है।**

24. हाजियों को अपनी सेहत का ध्यान और कड़ी धूप व ठंडी रातों में तथा कमरों की ठंडक से भी अपना बचाव करना चाहिए। उनको खूब पानी

पीना और अगर हो सके तो मौसम्मी जैसे फल खाना चाहिए जिससे जिस्म की आत्मरक्षा शक्ति बनी रहे। डॉक्टर और नर्से दवा इलाज की जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद हैं। ज्यादातर शिकायतें **जिस्म में पानी की कमी, लू धूप का असर, सर्दी और खांसी, फ्लू, पेट खराब होने, चर्म रोग और पैरों में छालों की होती हैं।** अस्पताल जाने की हालत में भारतीय हज मिशन इस को सुनिश्चित करता है कि सउदी अस्पतालों में हमारे हाजियों की ठीक देखभाल हो और उनकी सेहत में बेहतरी पर नज़र रखी जाती है।

25. इलाज की सहुलतें आपके क़रीब लाने के लिए हमने कई मोबाइल (चलते हुए) चिकित्सा दल बनायें हैं जो भवन में आते रहेंगे और आपके स्वास्थ्य की जरूरतों को देखेंगे ताकि ऐसे **बुढ़े और कमजोर लोगों का जो ब्रांच और हज आफिस डिस्पेन्सरियों में नहीं जा सकते हैं उनके कमरों में इलाज किया जा सके।**

26. 75 साल से ज्यादा आयु के सभी हाजियों के लिए एक विशेष मेडिकल पैकेज तैयार किया गया है। इसमें ऐसे दूसरे लोग भी आते हैं जो ज्यादा जोखिम की श्रेणी में हों।

सऊदी अरब में आचार संहिता

27. **सऊदी कानून के अनुसार कोई भी पचार चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक या कोई और भी पूरी तरह मना है । इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने रहने के दौरान किसी भी पकार का धार्मिक पचार तथा छपी हुई सामगी का वितरण न करें ।विशेष रूप से सावधानी बरतें कि किसी भी पकार की राजनैतिक चर्चा तथा साम्पादायिक बातों से अलग रहें।**

28. **इस बात की संभावना है कि कुछ व्यवस्था जो भारतीय या सऊदी कार्यालय की ओर से की गई हो संतोषजनक न हो । आपको सलाह दी जाती है कि ऐसी परिसि्थत में आप सहनशीलता और समझने की शकि्त का पयोग कर धैर्य से काम लें। किसी भी पकार के कष्ट या शिकायत के लिए आप भारतीय हज कमीशन केदव्ारा अपने शाखा कार्यालय या खुद्दाम हुज्जाज से सम्पर्क कर सकते हैं ।**

29. **कपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पकार की कर्मढता जैसे सडक पर जलूस , नारे लगाना तथा घेराव करना आदि तथा जनता की शांति को भंग करने को इस राज्य (किंगडम) में सहन नहीं किया जाएगा और सख्त कारवाई की जाएगी ।**

30. **भीख मांगना , जेब काटना , नशे की चीजों का इस्तेमाल सख्त मना है और सख्त सजा है। इस राज्य (किंगडम) म नशे की वस्तुओं के किसी पकार के इस्तेमाल या रखने ,बेचने पर मत्यु दंड और कई महीनों की जेल / तथा चोरी करने वालों के लिए कोडे की सजा है**

VI–<u>हरम शरीफ में आचार संहिता</u>

31. सबसे पहले तो हरम शरीफ का दीदार करने वाले तमाम हाजियों को हरम पाक की पवित्रता बरक़रार रखने की सबोध कोशिश करना चाहिए। उनको अपने भाव या जज़बात को काबू में रखना चाहिए। अचानक जज़बाती हो जाने से अतीत में मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं क्योंकि इस को उनके दिमाग की खराबी भी समझा जा सकता है। **कृपया हरम शरीफ में कोई ऐसी चीज़ न उठा लें जो कि आपकी न हो।** वरना पुलिस समझेगी कि आप चोरी कर रहे हैं और इससे आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

32. सउदी पुलिस और अफसरान हरम शरीफ के क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, सादे कपड़ों में भी, और कोई भी असाधारण क्रिया सदा नोट की जाती है। **अगर पुलिस या कोई और सउदी कारिन्दा आपको पकड़ ही ले तो कृपया उससे कुछ न कहें और इस पर आग्रह करें कि भारतीय मिशन का कोई अफसर वहां आये।**

33. मक्का में हरम शरीफ में बेसमेन्ट, मेन फ्लोर, पहली मंजिल और छत शामिल है। जब भीड़ बढ़ती है तो बाहरी स्थान भी दूर–दूर तक भर जाता है। आपको कन्वेयर बेल्ट (मीनी सीढ़ियाँ) के इस्तेमाल की अच्छी जानकारी पाना चाहिए जो कि हाजियों को पहली मंजिलऔर छत पर ले जाती है। कुछ लोग रेलिन्गों में अटक कर जगह घेर लेते हैं और इस तरह भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर देतें हैं। इस तरह वह अपने आप को और दूसरों को घायल करते हैं।

34. हरम शरीफ में आपको सदा अपने जूतों चप्पलों के लिए एक प्लास्टिक थैला रखना चाहिए। अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो तो चटायी की जानमाज भी होना चाहिए क्योंकि आपको खुली जगह या सड़के के किनारे नमाज़ पढ़ना पड़ सकती है।

V–ठगों और चोरों से होशियार

35. **अन्जान लोगों से कभी दोस्ती न करें, न इनसे खाने पीने की चीच लें जैसे कॉफी, दवा या दूसरा सामान, न इनसे अपनी बिल्डिंग जाने के लिए सवार करने (लिफ्ट) के लिए कहें।** क्योंकि ऐसे लोग पहले भी हाजियों को धोका देकर ठग चुके हैं और कितने ही हाजी अपना धन और कीमती सामान गंवा चुके हैं।

36. किसी भी भीड़ वाली जगह चाहे वो हरम पाक के अन्दर हो या बाहर, कृपया **कोई भी कीमती चीजें या फालतू करेन्सी नोट लेकर न जायें।** ऐसा न हो कि आप गिरहकटों के शिकार बन जायें या भीड़ में कीमती सामान खो जाये।

37. अपने कीमती सामान और नकदी की रक्षा खुद आपकी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों को यह सोचकर अपने साथ रखना महंगा पड़ सकता है कि इसी में हिफाजत है। पिछले वर्षों में गिरहकटी के अलावा हमको जबरदस्ती नोट छीने जाने की कई रिपोर्टें मिली हैं। इन चीज़ों की रक्षा के लिए सही इन्तेजाम करना आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मोअल्लिमों के बाजाबता कार्यालयों में ऐसे कीमती सामान को जमा करने की सहूलत है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपना फालतू धन मुअल्लिम के आफिस में जमा करके रसीद (फतूरा) ले लें। जैसी और जब जरूरत हो आप अपनी जमा की हुई रकम मोअल्लिम के आफिस से ले सकते हैं जिसके लिए इस आफिस की दी हई रसीद में लिखना होगा। हरम शरीफ के बाहर कई जगहों पर लॉकर भी हैं। थोड़ी रक़म देकर आप इनको किराये पर ले सकते हैं।

38. पिछले कुछ वर्षों से बेइमान लोग सस्ती कुर्बानी के नाम पर हाजियों को ठग रहें हैं। इन बेईमानों का काम सिर्फ अन्जान और बेखबर हाजियों को धोखा देकर ठग लेना ही है। लिहाज़ा आप या तो खुद अपने हाथों से कुर्बानी करें या इस्लामी डेवेलपमेन्ट बैंक (आई.डी.बी.) के कूपन खरीद लें। इन दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से कई **हनफी आलिमों ने बैंक कूपन को जायज़ घोषित किया है।**

39. **यदि आपके पैसे खो जाते हैं तो आप तुरंत इंडियन पिलगरिमस फोरम जो हज मिशन के आफिस में है से संपर्क कर जो आपकी तुरंत आर्थिक सहायता करेगा।**

40 **इंडियन पिलगरिमस फोरम जो भारतीय दूतावास के आधीन कार्य कर रहा है ,यह विभिन्न पकार के कार्यकम आयोजित करता है जिससे हाजियों को लाभ हो । यह संस्था महिलाओं के लिए विशेष पबंध करती है।तरह - तरह के कार्यकम**

आयोजित करके विशेष रूप से धार्मिक ,स्वास्थ से सबंधित मशायर क्षेत्र में रहने के समय सावधानी बरतने से सबंधित जानकारी जैसी बातों पर विशेष ध्यान दिलाया जाता है, और जागरूकता उत्पन्न की जाती है ।आपसे अनुरोध है कि इस पकार के जागरूकता सबंधित कार्यकमों में भाग्य लेकर लाभ उठाएं।

41 **बहुत सी दूसरी भारतीय संस्थाएं जो अलग - अलग राज्यों से हैं वे सब मिलजुलकर इंडियन पिलगरिमस फोरम के साथ होकर भिन्न -भिन्न पकारसे हाजियों की सहायता करती हैं ।**

42 **हाजी भारतीय दूतावास की वेबसाइट** www.cgijeddah.com **पर जाकर सभी पकार की सुविधाएं और सूचनाएं जो हज से सबंधित हैं ले सकते हैं।आपके लिए मक्के तथा मदीने में मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है।इसके साथ - साथ आपके लिए भारतीय टी.वी चैनल और पत्रिकाओं की सुविधाए भी दोनों शहरों (मक्का , मदीना) के सार्वजनिक केन्दों पर उपलब्ध हैं।**

VI–मदीना को जाना और वापसी

43. अगर आप के आवास के दरवाजे पर यह स्टिकर लगा है कि कुछ और हाजियों को भी आपके साथ ठहरना है तो **कृपया कमरे की चाबी मदीना जाते समय हारिस को देना न भूलें** क्योंकि ज्यादा सम्भावना यह है आपके जाने के बाद अपेक्षित यात्री आ जाएं और आपके ताला लगे हुए कमरे में रहने के हक़ के कारण वह हमको ताला तोड़ने पर मजबूर कर दें।

44. **कृपया मदीना रवाना होते समय भारतीय हज आफिस के मदीना रवानगी प्रभाग के कार्यक्रम की पाबन्दी करें।** इस बात का ध्यान रखें कि एक या दो यात्रियों की गलती से दूसरे सब परेशान न हों।

45. **कृपया याद रखें कि मदीना में रिहाइश की श्रेणियाँ नहीं हैं।** सभी यात्रियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है और सब को रिंग रोड (सीदिंन स्टरीट) पर या उसके इधर–उधर 850 मीटर की दूरी तक जगह मिलती है। लेकिन मदीना में उनके आने के समय के हिसाब से (आम तौर से पहले और आखिरी आठ नौ दिन) यात्रियों को मरकज़िया क्षेत्र में रखा जा सकता है। जो मस्जिद नबवी के पास है।

46 **हज से पहले या बाद मदीना जाते समय** अपने साथ एक या दो जोड़े ऊनी कपड़े रखें क्योंकि मदीना में तापमान बहुत कम हो जाता है विशेषतः रात में और फज्र के समय। **इसके साथ–साथ अपना एहराम**

तैयार रखें क्योंकि मक्का वापसी पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वहां आप एहराम में ही जा सकते हैं।

47. **मदीना में 40 नमाजें अदा करने के बाद मक्का वापसी में आपकी बस मीक़ात (सीमा) पर रूकेगी जिसको बीरे अली या जुल हलीफा भी कहा जाता है।** यहाँ यह एहराम बांधने के लिए रूकती है। एहराम बांधने के लिए बस छोड़ते समय अपनी बस को पहचान लें जिससे आपको वापस अपनी बस में बैठने में मुश्किल न हो। ज्यादातर बसें एक जैसी लगती हैं जिस से आप उलझन में पड़ सकते हैं। बस का रंग या नम्बर याद रखें।

IX–हज के दिनों में मशायर मुकद्दसा में कयाम

48. **कृपया मिना, अरफात रवाना होते समय अपने साथ दो जोड़े उनी कपड़े और एक चादर या हल्का कम्बल रखें** क्योंकि उन दिनों में रातें बहुत ठंडी होती हैं खासतौर से जब मुजदलफा में खुले में रात बिताना होगी।

49. मिना में हाजियों को उनके मकतब के हिसाब से टेन्ट में रखा जाता है। मकतब की लायी हुई बसों में उनको मक्का से मदीना भेजा जाता है। टेन्ट में हर एक हाजी के लिए सिर्फ एक वर्ग मीटर जगह होती है। इसलिए कृपया अपने कैम्पों में जगह की कमी की शिकायत न करें। किन्तु किसी अवांछित आदमी को अपने कैम्प में **न** रहने दें।

50. भारतीय हाजियों की देख–भाल करने वाले सभी मुअल्लिम **दक्षिण एशियाई मोसिसा** के होते हैं जो कि सबसे बड़ा मोसिसा (संस्था) है। अरबी में इसको जनूब एशिया कहते हैं। **इस मोसिसा का रंग पीला है।** मिना और **अरफात** में मकतब के साईन बोर्ड पीले रंग के होगें। **अरफात** में कैम्पों की स्थिति को ऊंचे पीले स्तम्भ या खम्भे जाहिर करेंगे जो दूर से दिखायी देंगे। हाजियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना चाहिए और अगर ये खो जाये तो "मोसिस जनूब एशिया" या "इन्डियन हज आफिस" या "बैतुल हज अलहिन्दया" का पता पूछना चाहिए। हाजी अपने मोअल्लिम के मकतब का नम्बर जरूर याद रखें।

51. **भारतीय कॉन्सुलेट मिना में अपना एक कार्यालय खोलता है जिसमें एक परिपूर्ण डिस्पेन्सरी भी होती है। इन्डियन कैम्प दो मुख्य सड़कों सैकुल अरब और शाराऐ जौहर पर स्थित है। यह भारतीय झन्डों से आसानी से पहचाना जाता है।**

52. **भारतीय हज मिशन के अफसर पूरे मिना में फैले होते हैं और उनको उनकी नीली जैकेट और इस पर लिखे इन्डिया/अलहिन्द से आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ अफसर खुद भी हज कर रहे होंगे**

लेकिन वो ऐसे रूमाल डालें होगें जिनपर इन्डिया/अलहिन्द लिखा होगा। कुछ के साथ भारतीय झन्डे भी होगें।

53. मिना में कोई भी समस्या आने पर कृपया इन अफसरों से सम्पर्क करने में संकोच न करें। हमने दक्षिण एशियाई मोसिसा के मार्फत डॉक्टरों और पैरामेडिक्स का एक छोटा दल हर मकतब के आवंटित टेन्ट में बिठाने की व्यवस्था भी की है। यह मेडिकल कार्यक्रर्ता आपको फौरन मेडिकल राहत देने के लिए मौजूद रहेंगे। ऐसा ही एक प्रशासनिक दल हर कैम्प में आपकी हर सम्भव मदद के लिए रहेगा।

54. आपको अपने खाने का खुद इन्तज़ाम करना होगा। मिना में हज के दिनों में बहुत से भोजनालय और फास्ट फूड रेस्तराँ मिल जायेंगे और खाना नाश्ता हासिल करने में मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप मक्का से कुछ सुखा खाद्य मसलन बिस्कुट, कुकीज़, फल और जूस भी लाना चाहेंगे।

55. जमरात पर आप दो तलों से रमी (पत्थर फेकना) कर सकते हैं। आपको जमरात पर सिर्फ उस समय में जाना चाहिए जो सऊदी प्रशासन ने आपको दिया हो। भारतीय हज अफसर और मोअल्लिम या जूनुब एशिया मोसिसा के अफसर निर्धारित समय पर मकतब के अफसरों के साथ आकर आपको जमरात के लिए साथ ले जायेंगे। इस ढंग से पत्थर फेंकने की क्रिया आसानी से हो सकती है। **कभी भी आप ऐसी भीड़ में न फसें जो एक जगह रूकी हो और आगे न बढ़ रही हो। भीड़ का हिसाब लगाकर आपको निचले या सबसे ऊपरी तल को पत्थर फेंकने के लिए चुनना चाहिए। बूढ़ों और कमजोरों, औरतों, बच्चों को जो दबाव बर्दाश्त न कर सकते हों अपनी तरफ से किसी और से पत्थर फिकवा देना चाहिए।** अगर देखें कि जमरात स्थल पर भीड़ बहुत ज्यादा है या बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो फौरन वापस हो जाना और कैम्प चले आना ही बेहतर है। आप किसी और अच्छे समय में इस काम के लिए जा सकते हैं।

56. इस बात से भी होशियार रहना चाहिए कि कुछ क़ौमों के हाजी जत्थों और समूहों में आते हैं और धक्के देकर भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं। आपको उनके रास्ते में नहीं आना या उन्हें रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इससे नुकसान पहुंच सकता है। भीड़ के खिलाफ दिशा में जाने की कोशिश न करें। गुस्से और तैश में न आयें और दूसरों से लड़ न बैठें। बेहतर यह है कि खुद्दामुल हज या दूसरे कार्यकर्ताओं की मद्द से समूहों में कैम्प से रवाना हों। **कृपया अपने साथ कोई भारी थैला या बैग लेकर रमी के लिए न जाएं, क्योंकि यह आपकी जान भी ले सकता है।**

57. इस साल सऊदी हज मंत्रालय ने सभी मोअल्लिमों को हुक्म दिया है कि 13 जुलहिज को भी हाजियों को कैम्पों की आपूर्ति करें। मंत्रालय ने मिना से मक्का हाजियों की रवानगी को दो दिनों, 12 और 13 जुलहिज में विभाजित करने की योजना भी बनायी है। यह विचार अच्छा है। इससे 12 जुलहिज को होने वाली भीड़ के जमाव में कमी करने में काफी मदद मिलेगी। अभी तक सभी हाजी 12 जुलहिज को मिना से चले जाते थे। इससे भीड़ और अफरा–तफरी पैदा हो जाती है। क्योंकि बहुत से हाजी अपना सामान लेकर जमरात जाते हैं ताकि वहाँ से रमी की रस्म अदा करके उसी दिन फौरन मक्का रवाना हो सकें।

तो अब अगर यह किया गया तो इससे बहुत ही मदद मिलेगी क्योंकि हाजियों की वापस रवानगी दो दिनों 12 और 13 जुलहिज में आधी–आधी हो जायेगी। इस प्रस्ताव से रमी जमरात के दौरान हादसों और चोटों से बचने में बहुत मदद मिलेगा।

एक और रात मिना में गुजारना सुन्नते रसूल मुहम्मद भी है। जो हज अदा करके 13 तारीख़ तक मिना में ठहरते थे।

58. हम चाहते हैं कि आप सब तमाम हज के अरकान सुरक्षा के साथ अपनी जान खतरे में डाले बगैर पूरे करें। कृपया याद रखें कि कोई क्रियाकलाप एक इन्सान की जान से ज्यादा महत्व नहीं रखता है। इस्लामी फिक़ह की कई विचाराधारावों के विद्वान आलिमों ने इस बारे में साफ राय दी है। ज्यादातर उलेमा इस पर सहमत हैं कि हाजियों को खतरे में पड़ने से रोकना ज़रूरी है। और इस लिहाज से उन्होंने फैसला दिया है कि रमी जायज़ तौर पर तशरीक के दिनों में कभी भी की जा सकती है।

59. इस्लाम यह नहीं कहता कि अपने को जिस्मानी नुक़सान पहुंचाये या अपनी जान खतरे में डालें। दूसरे रास्ते सदैव खुले होते हैं और जल्दी करने या इसमें अपने को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। कुरआन पाक में कहा गया है कि अल्लाह सु0व0ता0 ने तुम पर दीन (मजहब के एहकाम) में किसी किस्म की तंगी नहीं की। (अल–हज 22:78) एक और आयत में कहा गया है कि अल्लाह तआला को तुम्हारे साथ (एहकाम में) आसानी करना मंजूर है और तुम्हारे साथ दुश्वारी मंजूर नहीं। (अल–बकरह 2:185)

60. अरफात हज का चरम बिन्दू है। इसलिए अरफात में वुकूफ़ के दौरान कृपया अपना ज्यादा से ज्यादा वक़्त इबादत और जिक्रे इलाही में गुजारें। अरफात में आप अपने कैम्प में ही नमाज और वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आप जब्ले रहमा या मस्जिदे निमरा में जाना चाहते हैं तो कैम्प से निकलने से पहले अपने कैम्प की स्थिति और दिशाओं पर ग़ौर करें वरना इसकी पूरी सम्भावना है कि आप रास्ता भूल जाएं।

कोई भी मुश्किल आने पर अरफात में भारतीय हज आफिस से मदद ले सकते हैं।

61 यह याद रखें कि आप मग़रिब की अजान के बाद ही अरफात से रवाना हो सकते हैं लेकिन मग़रिब और उसके साथ इशा की नमाज मुजदलफा पहुंच कर ही अदा करेंगे चाहे वापसी में जितना भी समय लगे।

62 अरफात से मुजदलफा का सिर्फ 5–6 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में बस को 6–8 घंटे लग सकते हैं। सऊदी प्रशासन ने अरफात का लम्बा पैदल रास्ता तैयार किया है। स्वस्थ और तंदुरूस्त हाजी बस लेने की जगह अरफात से मिना पैदल जाना अच्छा समझेगें। वह 1 घंटे से भी कम में मुजदलफा पहुँच सकते हैं। मुजदलफा में टायलेट्स के लिए लाइनें लगती हैं जो दो घंटे तक ले सकती हैं। चूंकि मिना और मुजदलफा मिले हुए हैं इसलिए जिन लोगों की सेहत अच्छी है उनके लिए बेहतर होगा कि 10 जुलहिज को फज्र की नमाज के बाद मिना में अपने कैम्प पैदल चलें जायें और बसों का इन्तजार न करें और वहाँ जाकर इबादत करें अथार्त बसों को बूढ़े लोगों और औरतों के लिए रहने दिया जाये।

63 **कपया ध्यान में रखें कि माशायर क्षेत्र (मिना - अरफात - मुजलिफा - मिना) में जाने आने की सुविधा इस पकार की जाए गी कि बस एक बार में पचास हाजियों को ले जाएगी ।इस पकार से दो चक्कर होंगे।अधिकतर बसें टफिक में फस जाने की वजह से देर में पहुंचतीं हैं इसलिए हाजियों की सुविधा के कारण आप से अनुरोध है कि अपने माशायर क्षेत्र (मिना - अरफात - मुजलिफा - मिना) में स्वय अपने आने जाने का पबंध कर लें ,क्योंकि यह बारहमासी कढिनाई है जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसलिए आपसे विनती है कि धैर्य से काम ले कर अपने स्थान तक पहुंचें। कपया यह भी जान लें कि सऊदी कानून के अनुसार माशायर क्षेत्र(मिना - अरफात - मुजलिफा - मिना) में टांसपोर्ट इस्तेमाल न करने पर वह पैसा आपको वापस न मिलेगा।**

X–हज के बाद

64. अपकी देश वापसी जद्दा से भी हो सकती है और मदीना से भी। यह भी हो सकता है कि कुछ जद्दा होकर आने वाले हाजी मदीना के रास्ते वापस जायें। सभी यात्रियों को आखिरी क्षण में किसी अचानक स्थिति से बचने के लिए अपनी रवानगी का प्रोग्राम अच्छी तरह जान लेना चाहिए।

65. सभी यात्रियों को रवानगी के मरहले के लिए अपने मोअल्लिम और भारतीय हज मिशन की सलाह पर अमल करना चाहिए। सऊदी सरकार की शर्त है कि सारे हाजी **अपनी उड़ान से 8 घंटे पहले जद्दा हवाई अड्डे पहुँचे।** इसमें मक्का से जद्दा हवाई अड्डे के लिए बस यात्रा का समय जोड़कर, सभी बसें अपनी–अपनी बिल्डिंग से, **उड़ान के समय से 12 घंटे पहले चलेंगी।** मुसाफिरों के लिए जरूरी है कि कम से कम बसों के उनके भवन आने तक रवानगी के लिए तैयार हों जायें। उनका पूरा सामान बंध कर बिल्डिंग की लॉबी में ले आया जाना चाहिए। आखिरी क्षण में खरीदारी और मिलने जुलने के लिए जाना गलत है। **जब बस आपकी बिल्डिंग में आ जाये तो तवाफे विदा के लिए नहीं जाना चाहिए।**

66. आम हालात में उड़ान बदलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन तबीयत खराब होने और दूसरी इमरजेन्सी (आक्समिक) हालत में आप फ्लाईट को बदलने के लिए दरखास्त कर सकते हैं बशर्ते कि फ्लाईट में जगह हो। इसके लिए आपको भारतीय हज आफिस में स्थापित एयर इन्डिया के कम्पयूटराईज्ड रिजर्वेशन टर्मिनल से संपर्क करना चाहिए। **सऊदी एयर लाईन से एयर इन्डिया के, या उसके उलट, टिकट बदले जाने की कतई कोई सम्भावना नहीं है।**

67. हर भारतीय हाजी चेक–इन सामान 45 किलोग्राम निःशुल्क ला सकता है और 10 किलोग्राम हाथ में भी। इसके अलावा वह 10 लीटर जमजम का भी हक़दार है जो उसको एयर लाईन भारत में उतरने के स्थान पर देगी। **इसलिए आपको फ्लाईट में अपने साथ जमजम ले जाने की कोई जरूरत नहीं।** आपको यह यक़ीन कर लेना चाहिए कि आपका सामान उचित पहचान के साथ है अर्थात् नाम पता और यात्री का कवर नम्बर।

68. जहाँ तक हो सके रवानगी में आसानी के लिए सीमा से ज्यादा सामान न ही लायें तो अच्छा है। अगर सामान ज्यादा हो ही गया हो तो कार्गो सहूलत से फायदा उठायें जो एयर इन्डिया ने मक्का और मदीना में मुहैय्या की है।

69. कृपया पोस्ट हज सर्वे फार्म भरना न भूलें और उसमें विभिन्न संस्थाओं आदि के मामले में अपना तजुर्बा ब्यान करें।

हज को आसान बनाने के लिए आपको सदा अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ करना चाहिए। आपको बर्ताव और सब्र की मिसाल पेश करना चाहिए जो कि अल्लाह के मेहमान की हैसियत से शोभनीय है। आपको कभी अपने अस्ल मक़सद (यानी हज) को आंखों से ओंझल नहीं होने देना चाहिए जिसके लिए आपने दोनों पवित्र शहरों मक्का और मदीना का सफर किया। हम अधिकारी आपकी कोशिश में मदद ही कर सकते

हैं। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि कोई बन्दोबस्त दोष रहित (बे ऐब) नहीं हो सकता और इन्तजामों में हमेशा कुछ कमियां रह सकती हैं।

हम आप सब पर ज़ोर देते हैं कि बर्दाश्त और समझादारी की भावना जाहिर करें ताकि आखिर में आपको उच्चतम संतुष्टि और परिपूर्ण होने का अहसास हो।

आख़िर में अल्लाह से दुआ है कि हम इसके साये में सलामती से रहें और अल्लाह (सुब्हानहु तआला) आपको कामयाबी से मनासिके हज अन्जाम देने का मौका दे और हम भी आपकी दुवाओं और नेक ख़्वाहिशों के हक़दार हों।

अल्लाह हम को कामयाबी दे।

शुक्ररिये के साथ
आपका

डॉक्टर औसाफ सईद
कौन्सिल जननल, भारत
11–Nov–2007

परिशिष्ट

मुसाफिर किस मसअले/मामले में किस एजेन्सी से सम्पर्क करें :

क्रम संख्या	मामला	किस एजेन्सी से सम्पर्क करें
1.	कीमती चीज़ें जमा करना	मोअल्लिम आफिस
2.	भवन के बारे में शिकायत	यात्री अपनी शिकायत "भवन शिकायत रजिस्टर" में दर्ज करायें जो हर भवन में रखे जाते हैं। भवन निरीक्षक रोजना भवन में आते हैं लेकिन हर कमरे को जांचना शायद उनके लिए संभव न हो और न हर एक यात्री से बात करना। वह सिर्फ अपनी शिकायत पुस्तिका में लिखी शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे। यात्री ब्राचं आफिस भी जाकर वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वह अपनी समस्याएं खादिमुल हुज्जाज को बता सकते हैं।
3.	खोऐ यात्री	अगर आप जगह भूल जाएं तो कृपया कोशिश करके टासक फोर्स के स्टाफ से सम्पर्क करें। उनकी जैकटों पर इंडिया/अलहिन्द लिखा होता है। दूसरी सूरत में आप कोशिश करके करीबी भारतीय ब्रांच आफिस का पता लगा सकते हैं। अगर आपका कोई साथी यात्री खो जाये तो कृपया अपने ब्रांच आफिस को बताएं।
4.	खोया सामान	अपने ब्रांच आफिस से सम्पर्क करें। खोये सामान की ब्रांच डायरेक्टरी में न जायें जब तक आप का ब्रांच आफिस न कहे।
5.	खोया धन/चोरी	अजयाद में मेन भारतीय हज मिशन के जनरल वेलफेयर डेस्क से सम्पर्क करें। इस जगह यात्रियों को अंतरिम सहायता दी जाती है।
6.	मदीने को रवानगी	कृपया अपनी बिल्डिंग में लगे नोटिसों पर अमल करें। आप अपने ब्रांच आफिस या अपने मोअल्लिम के दफतर से संपर्क कर सकते हैं।
7.	उड़ान (फ्लाइट) बदलने के लिए	सऊदी अरबियन एयरलाइन्स आम तौर से फ्लाइट को बदल देने की दरखास्त नहीं लेती है। एयर इन्डिया के फ्लाइट शिडयूल में बदलाव में

		लिए कृपया अजयाद में भारतीय हज मिशन में हज मिशन के इन्चार्ज से सम्पर्क करें। उसकी स्वीकृति के बाद ही एयर इन्डिया सी.आर.टी. आफिस जो मुख्य भारतीय हज मिशन आफिस में होता है जगह होने पर जरूरी बदलाव करेगा। फ्लाइट का सेक्टर बदलना संभव नहीं होगा और न सऊदी एयरलाइन और एयर इन्डिया का टिकट एक दूसरे से बदलना।
9.	जद्दा वापस रवानगी	कृपया अपने भवन में लगे नोटिसों पर अमल करें। किसी भी मामले में आप अपने ब्रांच आफिस से कह सकते हैं।
10.	बढ़े हुए फालतू सामान की बुकिंग	एयर इन्डिया की कार्गो सहूलत यात्रियों को अपना फालतू सामान एयर इन्डिया की मार्फत पहले से ही बुक कर लेना चाहिए। हवाई अड्डे पर लगने वाले भारी शुल्क की अपेक्षा यह बहुत सस्ता होगा। कभी एयरपोर्ट पर हवाई कम्पनी फालतू सामान ले जाने से इन्कार भी कर सकती है चाहें आप इसके लिए आदायगी करें तब भी।
11.	मिना के लिए पास	मोअल्लिास आफिस
12.	स्वास्थ्य सहायता / एमरजेंसी	अपनी ब्रांच डिस्पेन्सरी में डॉक्टर की सलाह लें। एमरजेन्सी में आप किसी भी ब्रांच डिस्पेन्सरी या अस्पताल में जा सकते हैं। ज्यादा सख़्त इमरजेन्सी में आप अपने भवन पर भी डॉक्टर बुला सकते हैं।
13.	मिना में समस्याएं	अपने कैम्प में मोअल्लिम के आफिस में आप भारतीय हज मिशन मिना कैम्प आफिस की भी मदद ले सकते हैं।
14.	साथी यात्री की मौत	मोअल्लिम का आफिस आप अपने ब्रांच आफिस को भी बता सकते हैं। लाश को भवन से मुर्दा घर ले जाने और उसको दफन करने का काम मोअल्लिम का आफिस ही कर सकता है। दफन करने के लिए एन.ओ.सी. प्रमाण–पत्र मुख्य भारतीय हज मिशन अजयाद की तालमेल डेस्क जारी करेगी।